न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक
मैनुअल नं.06/अपील/2025 (GCMS No. 2025/10)	21.01.2025	30.06.2025

1. महावीर आ. छोटूलाल जाति तेली, निवासी ग्राम मंगाल, तह. बून्दी
2. विष्णु आ. छोटूलाल जाति तेली, निवासी ग्राम मंगाल, तह. बून्दी
3. हनुमान आ. छोटूलाल जाति तेली, निवासी ग्राम मंगाल, तह. बून्दी
4. तेजमल आ. छोटूलाल जाति तेली, निवासी ग्राम मंगाल, तह. बून्दी
   (मृतक जर्ये वारिसान) –
   4/1.सुमित्रा पत्नी स्व.तेजमल तेली निवासी ग्राम मंगील, तह.बून्दी
   4/2.दक्ष पुत्र स्व.तेजमल तेली नाबालिग जर्ये संरक्षण माता सुमित्रा पत्नी स्व.तेजमल तेली निवासी ग्राम मंगील, तह.बून्दी

– अपीलान्टस

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार बून्दी (जिला बून्दी)

– रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलान्टस की ओर से श्री आशुतोष शर्मा, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 770 दिनांक 03.05.2024 वाकेग्राम मंगाल से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। विरासत के आधार पर दर्ज किया गया अपीलाधीन नामान्तरकरण पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट एवं हस्ताक्षर नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया गया है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

अपील प्रस्तुत होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 6/2025 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2025/10 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि ग्राम मंगाल तहसील एवं जिला बून्दी की जमाबंदी संवत् 2072–75 के खाता संख्या 43 में दर्ज खसरा संख्या 140 रकबा 0.6848 हैक्टेयर, खसरा सं.140/688 रकबा 0.2307 हैक्टेयर, खसरा सं. 141 रकबा 3.2606 हैक्टेयर, खसरा सं.325 रकबा 0.9382 हैक्टेयर, खसरा सं. 528 रकबा 1.2150 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 6.3289 भूमि छोटूलाल गोदपिता नन्दकिशोर जाति तेली निवासी मंगाल की खातेदारी में चली आ रही है। खातेदार छोटूलाल की दिनांक 03.01.2024 को मृत्यु हो गयी है। अपीलांटस मृतक खातेदार छोटूलाल के वारिसान होने से विरासत कानून से हकदार है। खातेदार की मृत्यु के बाद उसकी खातेदारी भूमि के संबंध में सम्पूर्ण जांच प्रक्रिया सम्पन्न कर नामान्तरकरण सं. 770 दिनांक 27.03.2024 द्वारा अपीलांटस के नाम दर्ज कर जमाबंदी में अमल किया गया, किन्तु दिनांक 06.11.2024 को संबंधित हल्का पटवारी द्वारा स्वयं बिना किसी आदेश एवं प्रक्रिया के उक्त खाता सं. 43 के संबंध में प्रविष्टि नामान्तरकरण बाबत शुद्धिपत्र नामान्तरकरण संख्या 9 द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का मौका दिये बिना निरस्त कर दिया गया। जिस कारण मृतक खातेदार का नाम दर्ज हो जाने से अपीलांटस को भूमि संबंधी विकास कार्य, ऋण प्राप्त करने व कृषि उपज विक्रय करने में कठिनाई होती है। शुद्धिपत्र द्वारा उक्त नामान्तरकरण सं. 770 को विलोपित करने की सर्वप्रथम जानकारी अपीलांटस को दिनांक 09.12.2024 को केसीसी हेतु ऑनलाईन जमाबंदी देखने पर हुई। जिस अपीलांटस द्वारा उसी दिन नकल हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया तथा दिनांक 04.01.2025 को नकल प्राप्त होते ही अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी हल्का पर पटवारी के हस्ताक्षर नहीं होने के आधार पर नामान्तरकरण को निरस्त किया गया, जबकि तहसीलदार साहब द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी पटवारी से हस्ताक्षर करवाने के बजाय नामान्तरकरण को ही निरस्त कर दिया गया, जो विधिसम्मत नहीं होने से खारिज होने योग्य है। अभिभाषक अपीलांटस द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने एवं पिता छोटूलाल की खातेदारी भूमि खाता संख्या 43 के संबंध में अपीलांटस के नाम विरासत के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर, बून्दी

पेरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस तर्क प्रस्तुत किये गये कि विरासत के आधार पर दर्ज किये गये नामान्तरकरण की प्रकिया में पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट वं हस्ताक्षर नहीं होने से उक्त नामान्तरकरण अस्वीकार कर दिया गया था, किन्तु सहवन से उसका जमाबंदी में अमल कर दिया गया। इसकी जानकारी होते ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जर्ये शुद्धिपत्र सं. 9 उक्त निरस्त नामान्तरकरण के आधार पर दर्ज प्रविष्टि को निरस्त कर पुनः यथावत स्थिति बहाल कर दी गई, जो विधिसम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय को विरासत के आधार पर नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज किये जाने हेतु प्रकरण न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जा सकता है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे ज्ञात हुआ है कि ग्राम मंगाल के खाता सं. 43 में अंकित आराजी किता 5 कुल रकबा 6.3289 हैक्टेयर छोटू पुत्र मु. नन्दकिशोर जाति तेली की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी। खातेदार छोटू की मृत्यु के बाद उसके वारिसान के पक्ष में पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 770 दिनांक 27.03.2024 को दर्ज किया गया, जिसे तहसीलदार बून्दी द्वारा ''नामा0 पर पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट एवं हस्ताक्षर नहीं होने से नामा0 अस्वीकार किया जाता है'' की रिपोर्ट अंकित कर नामा0 अस्वीकार कर दिया गया। उक्त नामान्तरकरण अस्वीकार हो जाने के बावजूद भी इसका जमाबंदी संवत् 2072–2075 में अमल कर दिया गया तथा बाद में शुद्धिपत्र संख्या 9 दिनांक 06.11.24 (स्वीकृति दिनांक 11.11.24) के आधार पर मृतक खातेदार छोटू के वारिसान के स्थान पर पुनः मृतक खातेदार छोटू के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर दिया गया। जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांटस द्वारा यह अपील पेश की गई है।

जहां तक शुद्धिपत्र संख्या 9 के आधार पर मृतक खातेदार छोटू के वारिसान का नाम विलोपित किये जाने का प्रश्न है तो उक्त कार्यवाही विधिसम्मत प्रतीत होती है क्योंकि जब नामान्तरकरण संख्या 770 स्वीकार नहीं हुआ, तो उसके आधार पर जमाबंदी में इन्द्राज किया जाना विधिविरूद्ध होने से इसकी शुद्धि किया जाना आवश्यक था। इस प्रकार शुद्धिपत्र के संबंध में अपीलांटस की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। किन्तु विरासत के नामान्तरकरण संख्या 770 को अस्वीकार किया जाना विचारणीय बिन्दू है। खातेदार छोटू के देहान्त के बाद उसके वारिसान के पक्ष में विरासत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण प्रविष्टि कम संख्या 770 दिनांक 23.03.2024 दर्ज की गई, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.05.2024 को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं हस्ताक्षर नहीं है। उक्त नामान्तरकरण पर पटवारी की रिपोर्टः–

जिला कलक्टर, बून्दी

"यह सर्वर सर्टिफिकेट से प्रमाणित है।" पटवारी का नाम अजय कुशवाह दिनांक 28.03.2024 अंकित है। ऐसे में यदि पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ हस्ताक्षर अंकित नहीं किये है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने स्तर पर ही उक्त पूर्ति करवायी जानी चाहिए थी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमों में निर्धारित प्रकिया की पालना करवाये जाने के बजाय नामान्तरकरण को बिना समुचित कारणों के मात्र तकनीकी आधार पर निरस्त कर दिया गया, जो विधिक दृष्टि से उचित नहीं है। बिना किसी ठोस कारण के नामान्तरकरण अस्वीकार कर दिया जाना एवं बिना नामान्तरकरण स्वीकृत हुये इसका जमाबंदी में अमल कर दिया जाना अधीनस्थ न्यायालय की लापरवाही को प्रकट करता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाकर विरासत के आधार पर विधिक प्रावधानों की पालना में नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही किये जाने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.05.2024 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर आदेश दिये जाते है कि प्रकरण में मृतक खातेदार छोटूलाल के विधिक वरिसान के पक्ष में विरासत के आधार पर नये सिरे से नियमानुसार नामान्तरकरण अन्दर 30 दिवस तस्दीक करने की कार्यवाही की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 30.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय मोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी